न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

2025/551

राजेश ढाका बनाम तहसीलदार धोद

मु.नं. 268 वर्ष 2025

किस्म मुकदमा 136 LR

दिनांक	आज्ञा - पत्र
30/07/25	प्रार्थी राजेश ढाका पुत्र मोहन लाल जाति जाट निवासी ग्राम मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 153 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि राजू पुत्र मोहन दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्ठि राजेश ढाका पुत्र मोहन लाल है। प्रार्थी के नाम से बने आधार कार्ड, पैनकार्ड व 12 वीं अंकतालिका आदि की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठियां राजेश ढाका पुत्र मोहन लाल अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि राजू पुत्र मोहन के स्थान पर राजेश ढाका पुत्र मोहन लाल दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/12 दिनांक 28.06.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 153 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि राजू पुत्र मोहन के स्थान पर राजेश ढाका पुत्र मोहन लाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के भू.अ./2025/12 दिनांक 28.06.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.05 16:17:44 IST
Reason: SelfAttested